प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण
पुस्तिका

दिनांक 17 फरवरी, 2003 से 28 मार्च, 2003

सप्तम सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2003
(माघ 28, 1924)

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" सम्पन्न हुआ.

2. राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि-सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ.

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया.

राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ प्रस्थान किया.

3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि -महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं.

श्री घनाराम साहू, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 21, 24 एवं 25 फरवरी, 2003 तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के लिए दिनांक 18 फरवरी, 2003 को अपराह्न 4. 00 बजे तक का समय नियत किया गया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को यह भी सूचित किया गया कि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

4. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा नियमावली के नियम 9 (1) के अधीन वे निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

(1) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(2) श्री देवव्रत सिंह
(3) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री झितरूराम बघेल
(6) श्री अजय चन्द्राकर

5. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि-सदन के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष से चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार दिनांक 18 फरवरी, 2003 से विधान सभा की कार्यवाही दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ होगी. अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक एक घंटे का भोजन अवकाश रहेगा तथा विधान सभा सायं 6.00 बजे तक चलेगी.

6. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने म. प्र. विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गणेशराम अनंत, श्री शिशुपाल शाह, श्री हुलासराम मनहर, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, प्रसिद्ध कवि डॉ. हरिवंशराय बच्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्रीमती कल्पना चावला के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री दाऊराम रत्नाकर ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2003
(माघ 29, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित एक तारांकित प्रश्न तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

राजधानी रायपुर में शिक्षा कर्मियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन पर पुलिस द्वारा दमनात्मक रवैया अपनाये जाने के संबंध में सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, दाऊराम रत्नाकर, नारायण प्रसाद चंदेल, महेश तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल, मेघाराम साहू, रामविचार नेताम, धरम कौशिक, नंदकुमार साय की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) पटल पर रखा.

2. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 1 सन् 2003) पटल पर रखा.

4. सितम्बर-अक्टूबर, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने सितम्बर-अक्टूबर, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. नियम 267-क के अधीन सितम्बर-अक्टूबर, 2002 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने नियम 267-क के अधीन सितम्बर-अक्टूबर, 2002 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से 10 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से सदस्यों को पृथक् से वितरित किया जा रहा है.

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2003 को संपन्न हुई जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य, विधेयकों तथा अन्य कार्य के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

1. वित्तीय कार्य

	निर्धारित समय
वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक की मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा.	3 घंटे

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
2. छत्तीसगढ़ वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
3. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003.	30 मिनट
4. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
5. छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट

3. नियम 139 के अधीन चर्चा

1. प्रदेश में धान खरीदी की समस्या, फसल चक्र, खुले मवेशी एवं बरदी प्रथा आदि के संबंध में एक कृषि नीति की आवश्यकता होने के संबंध में महेश तिवारी, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट
2. प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य नहीं खुलने से पलायन होने तथा जहां राहत कार्य खुले हैं उसमें अनियमितता होने के संबंध में श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"वित्तीय कार्य, विधेयकों तथा अन्य कार्य के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई, सदन उन्हें स्वीकृति देता है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में शिक्षा कर्मियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन पर पुलिस द्वारा दमनात्मक रवैया अपनाये जाने के संबंध में अग्राह्य किये गये स्थगन पर माननीय अध्यक्ष से शासन की ओर से समाधान कारक उत्तर की मांग की तथा नारे लगाये.

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के उप पद (1) एवं (2) में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाकर्त्ता सदस्यों के नाम तथा नियम 267-क के अधीन सूचनाएं पढ़े जाने हेतु सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल के नाम पुकारे किन्तु माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना नहीं पढ़ी.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 1 सन् 2003) पुर: स्थापित किया.

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष ने नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए सदस्य श्री महेश तिवारी का नाम पुकारा किन्तु माननीय सदस्य ने चर्चा प्रारंभ नहीं की.

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2003

(माघ 30, 1924)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही सदस्य श्री महेश तिवारी ने उपाध्यक्ष महोदय के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किये जाने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा प्रारंभ करनी चाही.

व्यवधान के बीच सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये.

लगातार व्यवधान रहने से 12.03 बजे माननीय अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

अपराह्न 1.00 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री महेश तिवारी, सदस्य ने पुन: चर्चा प्रारंभ करनी चाही तथा समाचार पत्रों में छपी खबरों का उल्लेख करना चाहा.

व्यवधान के बीच भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगाये.

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी :-

1. अधिसूचना क्रमांक 4390 दिनांक 31 अक्टूबर, 2002

2. अधिसूचना क्रमांक 4831/राजस्व/ 2002, दिनांक 27 नवम्बर, 2002

2. वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2003 को अपराह्न 5.00 बजे तक का समय निर्धारित किया.

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2003
(फाल्गुन 1, 1924)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री महेश तिवारी, सदस्य ने मांग की कि विधायक दल में आसंदी के खिलाफ प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव पर सदन के नेता को उपस्थित होकर नि:शर्त माफी मांगनी चाहिए.

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष ने सबसे प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा से प्रश्न पूछने को कहा, किन्तु सदस्य ने प्रश्न नहीं पूछा.

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष ने 12.12 बजे सदन की कार्यवाही अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष ने जैसे ही धान खरीदी में अनियमितता संबंधी स्थगन प्रस्ताव लेने की घोषणा की, सदस्य श्री महेश तिवारी ने उनके द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर पहले चर्चा प्रारंभ करने की मांग करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार पुस्तक (कोल एण्ड शकधर) में दिया है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव से वरीयता क्रम में आगे है.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने "अध्यक्ष के स्थायी आदेश अध्याय-एक, सभा के समक्ष कार्य का क्रम" का उल्लेख करते हुए कहा कि -

अध्यक्ष के स्थाई आदेश में स्पष्ट दिया है कि -

यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तो सभा के समक्ष कार्य की निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात् :-

(6) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति,

(7) विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न.

श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जो क्रम पूर्व से निर्धारित है उसी क्रम में चर्चा करायी जानी चाहिए इसलिए पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो.

माननीय अध्यक्ष ने संसदीय पद्धति और प्रक्रिया "कोल एण्ड शकधर" के पृष्ठ 298 का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

"विशेषाधिकार प्रश्न को कार्यसूची की अन्य मदों की अपेक्षा पूर्ववर्तिता दी जाती है. तद्नुसार विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति प्रश्नों के बाद और सूची की अन्य मदों को लिये जाने से पहले मांगी जाती है."

उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख कार्यसूची में नहीं रहता. इसमें लिखा हुआ है कि "कार्यसूची की अन्य मदों के पूर्व" उसके अनुसार "कार्यसूची जब प्रारंभ होती है तो उसके पहले" और इसको प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो कार्यसूची में नहीं है.

सभा का कार्य स्थगन करने की अनुमति छठवें नम्बर पर है और विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न सातवें नम्बर पर है.

इसलिए यह तय हो गया कि जो चीजें कार्यसूची में नहीं है उनमें पहले नम्बर पर स्थगनं प्रस्ताव आयेगा और उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव.

जहां तक विशेषाधिकार भंग की सूचना पर कार्यवाही करने का सवाल है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल संबंधित को उत्तर के लिए प्रेषित कर दिया गया है. दोनों पक्षों की बातें आने के बाद वे उसके गुण दोष पर विचार करेंगे और आवश्यकता हुई तो वे शीघ्र निर्णय देंगे तथा सदन में उसकी चर्चा भी करायेंगे. लेकिन आज पहले स्थगन प्रस्ताव लिया जायेगा.

व्यवधान के बीच भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये.

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के नाम पुकारे किन्तु माननीय सदस्यों ने सूचना नहीं पढ़ी.

1. वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि परंपरानुसार सभी मागें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है, अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि-दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 79 एवं 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच सौ उन्नीस करोड़, अन्ठानवे लाख, उन्चास हजार, एक सौ पचास रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक- 1) विधेयक, 2003 का पुर: स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक- 1) विधेयक, 2003 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्तमंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 का पुर: स्थापन किया.

3. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2003 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

		अशासकीय संकल्प	समय
1.	(क्रमांक-1)	श्री महेश तिवारी	50 मिनट
2.	(क्रमांक-13)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	50 मिनट
3.	(क्रमांक-19)	श्री डोमेन्द्र भेंडिया	50 मिनट

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2003
(फाल्गुन 2, 1924)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आज ही चर्चा कराये जाने की माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था देने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस विषय पर जो कुछ भी कहना होगा वे प्रश्नकाल के बाद कहेंगे.

(भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये)

व्यवधान होने से 12.09 बजे सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. 12.27 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने माननीय अध्यक्ष से विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा के लिए समय निश्चित करने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विशेषाधिकार की सूचना पर संबंधित पक्षों से जवाब आ जाए, उस पर वे सुनवाई करेंगे. उन्होंने सदस्यों के हित में सदन से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की.

(भाजपा सदस्यों ने नारे लगाए)

लगातार व्यवधान रहने से 12.32 बजे माननीय अध्यक्ष ने सभो की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 1.04 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुनः मांग की कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार भंग की दी गई तीन अलग अलग सूचनाओं पर सदन में चर्चा करायी जाए.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सत्तापक्ष हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है. सदन के नेता के विरूद्ध जो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई चूंकि सदन के नेता सदन में उपस्थित नहीं है अतः वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में चर्चा हो.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर वे पूर्व में व्यवस्था दे चुके हैं.

(भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के नाम पुकारे, किन्तु माननीय सदस्यों ने सूचना नहीं पढ़ी.

1. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की.

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2003

(फाल्गुन 5, 1924)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराये जाने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा प्रारंभ होगी. माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से अपेक्षा की कि चर्चा के दौरान माननीय सदस्य विशेषाधिकार भंग की सूचना की परिधि के भीतर सीमित रहकर उसकी प्रासंगिकता पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि यह सामान्य या आम चर्चा नहीं है.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रुप में परिवर्तित 02 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय श्री बनवारीलाल अग्रवाल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित करने को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एवं कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के विरुद्ध दो पृथक्-पृथक् विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं प्राप्त हुई.

पहली सूचना माननीय सदस्य सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, मेघाराम साहू, संजीव शाह, गणेशराम भगत, रामविचार नेताम, नारायण प्रसाद चंदेल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, नंदकुमार साय द्वारा तथा दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई है. विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की टिप्पणी उन्हें प्राप्त हो गई है जो उनके समक्ष विचाराधीन है. विषय को निर्णीत करने के पूर्व वे सदस्यों के विचार भी जानना चाहेंगे. माननीय अध्यक्ष ने प्रथम प्राप्त सूचना को सदन में पढ़कर सुनाया.

चर्चा में सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने भाग लिया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

चर्चा अपूर्ण रही.

3. वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का उपस्थापन

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 26 फरवरी, 27 फरवरी एवं 28 फरवरी, 2003 तक का समय आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत किया.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 25 फरवरी, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं. कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2003

(फाल्गुन 6, 1924)

1. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 (1) को शिथिल करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों को भी सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करने की घोषणा की :-

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी
(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया
(3) श्री महेश तिवारी
(4) श्री धर्मजीत सिंह
(5) श्री रामविचार नेताम

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछ गये तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 448) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस तक के लिए स्थगित किया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश की आदिमजाति कल्याण मंत्री श्रीमती उर्मिला सिंह सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बजट संबंधी मूलभूत जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर चर्चा और बजट साहित्य समझने में सुविधा की दृष्टि से बजट संबंधी मूलभूत जानकारी एवं बजट साहित्य में सम्मिलित विभिन्न खण्डों एवं अनुदान मांगों आदि पर माननीय सदस्यों को जानकारी देने के लिये दिनांक 26 फरवरी, 2003 को प्रात: 10.30 बजे से 12.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह प्रशिक्षण वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा.

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें: इस प्रशिक्षण का लाभ पत्रकार बंधु भी उठा सकते हैं.

4. विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा (क्रमश:)

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय श्री बनवारीलाल अग्रवाल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित करने को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एवं कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के विरुद्ध दो पृथक् -पृथक् विशेषाधिकार भंग की

सूचनाओं पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बनवारीलाल अग्रवाल

(2) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

(3) श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि-कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2003 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन), विधेयक, 2003.	1 घंटा
(2)	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003.	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003.	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ विशेष पुलिस स्थापना (निरसन) विधेयक, 2003.	30 मिनट

समिति ने वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक संबंधी संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित करने की भी सिफारिश की है :-

1.	श्री रविन्द्र चौबे	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	
		28	राज्य विधान मंडल	
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
2.	श्री तरूण चटर्जी	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	2 घंटे
		67	लोक निर्माण कार्य - भवन	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
3.	श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे	10	वन	1 घंटे
4.	श्री माधव सिंह ध्रुव	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घंटे
		33	आदिमजाति कल्याण	
		41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	
		42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	

		64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2 घंटे
		66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
		68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	
		77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	
		83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	
5.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	1	सामान्य प्रशासन	2 घंटे
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
6.	श्री महेन्द्र कर्मा	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटे 30 मिनट
		56	ग्रामोद्योग	
		78	ग्रामोद्योग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
7.	श्री नंदकुमार पटेल	3	पुलिस	2 घंटे 30 मिनट
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		36	परिवहन	
		65	विमानन विभाग	
8.	श्री धनेश पटिला	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
9.	श्री चनेश राम राठिया	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	1 घंटा
10.	श्री सत्यनारायण शर्मा	27	स्कूल शिक्षा	2 घंटे
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	
		47	तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	
11.	श्री अमितेष शुक्ल	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनट
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	

12.	श्रीमती गीता देवी सिंह	34	समाज कल्याण	1 घंटा
		55	महिला एवं बाल विकास	
13.	डॉ. प्रेमसाय सिंह	13	कृषि	2 घंटा
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		17	सहकारिता	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
14.	श्री रामपुकार सिंह	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	
15.	डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		7	वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
		48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	
		50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
16.	श्री भूपेश बघेल	8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1 घंटा 30 मिनट
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	
17.	श्री शंकर सोढ़ी	18	श्रम	1 घंटा
		43	खेल और युवक कल्याण	
18.	श्री धनेन्द्र साहू	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		37	पर्यटन	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
19.	डॉ. शक्राजीत नायक	23	जल संसाधन विभाग	1 घंटा 30 मिनट
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	

20.	श्री गंगूराम बघेल	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घंटा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 4 मार्च, 2003 से दिनांक 28 मार्च, 2003 तक भोजन अवकाश नहीं होगा.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दिनांक 26 फरवरी, 2003 को भी होगी. इसके अलावा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दिनांक 27, 28 फरवरी एवं 3 मार्च, 2003 को होगी.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, ने प्रस्ताव किया कि-सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1999-2000 पटल पर रखी.

माननीय सभापति ने कार्यसूची में शामिल ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं आगामी कार्य दिवस में लिये जाने की घोषणा की.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-3 सन् 2003) का पुरः स्थापन किया.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया.

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 15 माननीय सदस्यों के संशोधन की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है, संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं, वे पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ेंगे केवल संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधन संख्या को ही पढ़ेंगे. उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गये :-

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री धरम कौशिक	23
श्री मेघाराम साहू	24
श्री अजय चन्द्राकर	51

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री नारायण प्रसाद चंदेल	42
श्री लीलाराम भोजवानी	26
श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	13
श्री चोवादास खाण्डेकर	23
श्री संजीव शाह	26
श्री जगजीत सिंह मक्कड़	31
श्री शिवरतन शर्मा	23
श्री ननकीराम कंवर	31

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री डोमेंद्र भेंडिया, सदस्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ननकीराम कंवर
(2) श्री घनाराम साहू
(3) श्री अजय चन्द्राकर
(4) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(5) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(6) श्री लखमा
(7) श्री लीलाराम भोजवानी

चर्चा अपूर्ण रही.

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2003
(फाल्गुन 7, 1294)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही कल्याण मंत्री श्रीमती गीता देवी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय द्वारा राजनांदगांव जिले की अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में नारी विरोधी बयान देने की बात उठायी.

व्यवधान के बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगाये.

व्यवधान होने से 12.09 बजे माननीय अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी. 12.24 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वित्त एवं योजना विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-85/2002/वाक/पांच (118), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 पटल पर रखी.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, महेश तिवारी, सदस्य ने राजधानी रायपुर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के वाहन से 65 लाख रुपये लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

2. सर्वश्री धरम कौशिक, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कवर्धा जिले के बैगा आदिवासियों के मकानों में तोड़-फोड़ तथा मारपीट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की दुर्ग जिले के गुरूर आदिवासी छात्रावास के नव निर्मित भवन को किराये पर देने,

2. श्री चरण सिंह मांझी, सदस्य की बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसानों को रोड़ के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा न मिलने,

3. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के विकास खण्ड डोंगरगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सोने सरार के पूर्व सरपंच द्वारा अनियमितता बरतने,

4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बम्हनीडीह में वर्षों पुराने कुओं पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने,

5. श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की नगर पंचायत, तखतपुर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाये जाने से सफाई कार्य प्रभावित होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66 जगदलपुर के सदस्य श्री झितरूराम बघेल की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होंने फरवरी-मार्च, 2003 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है :-

मेरे वरिष्ठ भ्राता श्री सुखदेव बघेल, उम्र 65 का दिनांक 19/02/03 को आकस्मात देहावसान हो जाने के कारण विधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हो सका हूं.

अत: स्व. भ्राता के समस्त सामाजिक संस्कार पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 03/03/03 तक विधान सभा की बैठक में अनुपस्थित रहूंगा.

क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66 जगदलपुर के सदस्य श्री झितरूराम बघेल को फरवरी-मार्च, 2003 सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2003 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये.

अनुज्ञा प्रदान की गई.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमितेश शुक्ल, पंचायत मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 11 सन् 2003) का पुर:स्थापन किया.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पुनग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री गणेशशंकर बाजपेयी, श्री शिवरतन शर्मा, श्री मदनसिंह डहरिया, श्री चोवादास खाण्डेकर, श्री धर्मजीत सिंह, श्री दाऊराम रत्नाकर, श्री अग्नि चन्द्राकर.

श्री रामविचार नेताम, श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैक्लॉउड, प्रो. गोपाल राम, श्री धरम कौशिक.

श्री सोहनलाल, श्री जगजीत सिंह मक्कड़, श्री हरषद मेहता.

8. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि माननीय सदस्यों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आज की भांति आय-व्ययक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कल दिनांक 27 फरवरी, 2003 को भी आयोजित किया गया है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया दिनांक 27 फरवरी, 2003 को प्रात: 10.30 बजे से 12.00 बजे तक समिति कक्ष क्रमांक-दो में उपस्थित रहें. पत्रकार बंधु भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि कल प्रश्नकाल के तत्काल बाद राज्यपाल महोदय के धन्यवाद ज्ञापन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कल ध्यानाकर्षण नहीं होंगे.

9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

डॉ. छबिलाल रात्रे

चर्चा अपूर्ण रही.

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2003
(फाल्गुन 8, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 537) पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाने एवं व्यवधान होने से 12.53 बजे सभा की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई. 1.00 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन अनुसार सदन ने शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी, 2003 को चर्चा के लिए निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं संकल्पों पर उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की अनुशंसा स्वीकृत की :-

	अशासकीय विधेयक एवं संकल्प	समय
अशासकीय विधेयक		
1. (क्रमांक-5 सन् 2003)	श्री बृजमोहन अग्रवाल	05 मिनट
अशासकीय संकल्प		
2. (क्रमांक-20)	श्री डोमेन्द्र भेंडिया	50 मिनट
3. (क्रमांक-21, 22)	श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनट
4. (क्रमांक-26)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	50 मिनट

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने भारत के संविधान ने अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2002 (क्रमांक-11, सन् 2002) पटल पर रखा.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण प्रारंभ होने के पूर्व छत्तीसगढ़ विकास निधि के अंतर्गत विपक्षी दल के सदस्यों के क्षेत्र में भेदभाव बरतने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया.

सभापति महोदय द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में प्रस्तुत संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

सभापति महोदय, ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर मत लिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

चर्चा में सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री अमर अग्रवाल

चर्चा अपूर्ण रही.

6. वक्तव्य

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि (मछली पालन) मंत्री ने छत्तीसगढ़ में मछुआरों के हितार्थ शासन की नीति के संबंध में वक्तव्य दिया.

नेता प्रतिपक्ष, श्री नंदकुमार साय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003
(फाल्गुन 9, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र.-587) पर भाजपा सदस्यों ने शासन की ओर से समाधानकारक उत्तर न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री गणेशराम भगत, प्रेमसिंह सिदार, सदस्य ने जशपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में जंगली हाथियों द्वारा आतंक मचाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री रामविचार नेताम, सदस्य ने सरगुजा जिले की तहसील रामानुजगंज व वाड्रफनगर में पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क अंतर्गत विषय

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने रायपुर जिले के टाऊन एवं कन्ट्री प्लानिंग द्वारा आवासीय भू-खण्डों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में जनता को परेशान करने,

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेष सशस्त्र बल के जवान राजेश कुमार साहू के विरुद्ध कार्यवाही करने,

3. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव शहर अंतर्गत यातायात (ट्रांसपोर्ट) नगर बसाये जाने,

4. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जिला मुख्यालय जांजगीर से ग्राम धुरकोट, नवागढ़ होते हुए ग्राम केरा तक की जीर्णशीर्ण एवं जर्जर सड़कों का शीघ्र नवीनीकरण करने,

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम खपरीडीह एवं पूछेली में सरपंच द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा दिये जाने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संशोधन विधेयक पुर: स्थापित किये :-

1. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-7 सन् 2003).

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-8 सन् 2003)

3. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-9 सन् 2003)

4. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक -10 सन् 2003)

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सदस्य ने आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

चर्चा अपूर्ण रही.

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

विधायक दल की बैठक में माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

सभा को स्मरण होगा कि मैंने दिनांक 24 फरवरी, 2003 को माननीय सदस्य सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, मेघाराम साहू, संजीव शाह, गणेशराम भगत, रामविचार नेताम, नारायण प्रसाद चंदेल, रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, नन्द कुमार साय तथा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के विरुद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एवं कॉंग्रेस विधायक दल के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना को सभा में पढ़कर सुनाया था और सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए थे.

सदस्यों के विचार सुनने के उपरांत मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी, तदनुसार मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है :-

"विशेषाधिकार भंग की सूचना का मुख्य आधार यह है कि दिनांक 17 फरवरी, 2003 को कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रकार जबकि सभा का सत्र आरंभ हो चुका है, उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्पक्षता बरतने के विरुद्ध प्रभावित किया. सूचना में यह उल्लेख भी किया गया है कि उक्त प्रस्ताव योजनाबद्ध ढंग से विधान सभा की कार्यवाही

को अपने दल के पक्ष में प्रभावित करने के उद्देश्य से लाया गया है और माननीय उपाध्यक्ष को सभा के संचालन से प्रभावित करने का उपक्रम है और इस प्रकार सदन के नेता श्री अजीत जोगी सहित सभी सदस्य अवमानना के दोषी हो गये हैं."

मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना, विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी, माननीय सदस्यों द्वारा सभा में अभिव्यक्त विचारों, नियमों और परिपाटियों का एवं सभा में चर्चा के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा लिखित कथन का गंभीरतापूर्वक मनन किया. विशेषाधिकार भंग की सूचना पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम यह विचार करना आवश्यक है कि इस सदन के और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद धारित व्यक्तियों से सभा के अंदर सदस्य के रूप में, एवं सभा के बाहर के आचरण से क्या उनके विशेषाधिकारों का कोई सीधा संबंध बनता है.

सभा एवं इसके सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार संविधान प्रदत्त है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 194 में किया गया है. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभा, इसकी समितियों एवं इसके सदस्यों को मुख्यत: जो विशेषाधिकार उपलब्ध है, वे केवल सभा की कार्यवाहियों तक, सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने तक ही सीमित है ताकि न केवल सभा अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके, अपितु इसके सदस्य भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके.

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सदस्यों को विशेषाधिकारों का कवच केवल संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन तक ही सीमित है, जब वे सदस्य की हैसियत से नहीं अपितु किसी अन्य हैसियत से कार्य कर रहे होते हैं, तब उनके द्वारा विशेषाधिकारों की मांग करना संविधान सम्मत नहीं है.

विगत 50 वर्षों के संसदीय परम्पराओं एवं परिपाटियों से यह सुस्थापित है कि अन्यथा स्थिति में अर्थात् जब सभा के सदस्य सभा से संबंधित कार्य सम्पादित नहीं कर रहे होते हैं और एक राजनीतिक नेता की हैसियत से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार का कवच प्राप्त नहीं होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संसदीय विशेषाधिकारों का प्रमुख एवं एकमात्र उद्देश्य केवल यह है कि जनप्रतिनिधि बिना किसी भय, बाधा, अड़चन एवं पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सदस्य के रूप में कर सकें.

मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या माननीय श्री बनवारीलाल अग्रवाल जो सभा के उपाध्यक्ष हैं और जिन्होंने कोई टिप्पणी सभा के नेता अथवा न्यायपालिका के संबंध में की है, चाहे वह उपाध्यक्ष के रूप में हो, जैसा कि उन्होंने चर्चा के दौरान व्यक्त किया है अथवा किसी अन्य हैसियत से और जिसको आधार बनाकर काँग्रेस विधायक दल द्वारा उनके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया, से उनके उपाध्यक्ष के रूप में विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा अवमानना हुई है ? यह भी विचारणीय है कि क्या सभा के बाहर की राजनीतिक घटनाओं का सभा के विशेषाधिकारों से कोई परोक्ष अथवा अपरोक्ष संबंध है ?

मैं माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के सभा में किए गए इस कथन से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में वह कथन किया था, जिसको आधार बनाकर कांग्रेस विधायक दल द्वारा उनके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया. उपाध्यक्ष के नाते उन्हें संविधान एवं विधि के अंतर्गत कोई भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके अंतर्गत वे सदन के नेता अथवा मुख्यमंत्री से उनके कार्यकलापों के संबंध में पत्रकारवार्ता के माध्यम से कथित आलोचना करें अथवा कोई जानकारी प्राप्त कर सकें. अथवा किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी कर सकें. संविधान में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और ऐसा कोई कर्तव्य, अधिकार उपाध्यक्ष को नहीं सौंपा गया है, जिसका उल्लेख माननीय उपाध्यक्ष ने चर्चा के दौरान किया है.

मैं सदन का ध्यान संसदीय दल की बैठकों की कार्यवाहियों को आधार बनाकर विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1973, 8 अगस्त, 1974, 15 दिसम्बर, 1978 को की कोई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई घटना, कार्यवाही, चर्चा "संसदीय दल के बैठकों

में हुई हो तो उसके आधार पर विशेषाधिकार भंग का मामला गठित नहीं होता है." जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान भी किया है.

माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने सभा में चर्चा के दौरान आसंदी की अवमानना का प्रश्न भी उठाया है. आसंदी पर अवमानना के संबंध में विचार करने के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल सभा के बाहर दिया गया तथाकथित वक्तव्य, उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में दिया गया वक्तव्य था ? इस संबंध में मेरा यह स्पष्ट मत है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया अथवा जो टिप्पणी सदन के नेता अथवा न्याय पालिका के संबंध में पत्रकारवार्ता में की उसका सीधा संबंध उनके सभा के कार्यों से नहीं है. अपितु एक राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से है और यदि राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से कोई टिप्पणी की जाती है, तब किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उसका राजनीतिक उत्तर भी दिया जा सकता है और मेरे मत में उपरोक्त कार्यवाही का उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से अथवा सभा की कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है. राजनैतिक टिप्पणियों का उत्तर राजनीतिक ढंग से आना स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी नया नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने बाद में दिए अपने लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेख किया है कि- "किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बैठकों में अपराध करने का अधिकार नहीं दिया गया है. यदि किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ भी निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो भी वह अपराध बनता है. मेरे विरुद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव में न्यायालयीन दृष्टि में भी अपराध बनता है तो अवमानना होने के कारण सदन में भी विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है."

माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उनका आशय यह है कि उनके विरुद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव न्यायालयीन दृष्टि से अपराध की परिधि में है और अपराध की परिधि में आने के कारण तथा अवमानना होने के कारण वह विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है. मैं उनके इस कथन से अपने आपको सहमत नहीं पाता. क्योंकि एक तो साधारण व्यक्ति को संसदीय विशेषाधिकार का कवच प्राप्त नहीं है और दूसरे न्यायालयीन दृष्टि में यदि कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, तब उससे संसदीय विशेषाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं और विधि की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्यवाही योग्य होते हैं और तदनुसार ही अनुतोष भी प्राप्त किया जा सकता है.

चर्चा के दौरान संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठ 129 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री श्री गंगूराम बघेल ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठाये गये मामले पर तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलंकर के निम्न विचारों को भी उद्धृत किया -

"उपाध्यक्ष संबंधी प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रत्येक उपाध्यक्ष को विचार करना है और निर्णय लेना है. नि:संदेह वह सदस्य है परंतु मैं समझता हूं कि उसे यह भी याद रखना है कि उसे सभा की अध्यक्षता करनी है और इसलिए उसका यह उत्तरदायित्व है कि वाद-विवाद में इस ढंग से आचरण करे कि दलों के सदस्य उसे किसी दल से सम्बद्ध न समझें और यह बंधन केवल उसके द्वारा सभा से बाहर राजनीतिक में भाग लेने पर ही लागू नहीं होता बल्कि उस भाषा पर भी लागू होता है जिसका प्रयोग वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए करता है. यह ऐसा प्रश्न है जिस पर उसे अपने विवेक का प्रयोग करना है."

संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधान मण्डल के पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है और यही नहीं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 178, 179, 180 एवं 181 में एक समान प्रावधान दिए गए हैं. यही नहीं महामहिम राज्यपाल के समान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन-भत्तों को भी इस दृष्टि से कि सभा में यह विचार के बिन्दु न बने भारित मद में रखा गया है और विगत 20 वर्षों में यह सुस्थापित और स्वस्थ परम्परा भी विकसित हो गई है कि उपाध्यक्ष हेतु सर्वसम्मति से विपक्ष के सदस्य को निर्वाचित किया जाता है.

संसदीय लोकतंत्र तभी सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है, जब हम न केवल उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं का पालन करें अपितु उत्कृष्ट परम्पराओं को भी स्थापित करने का निरंतर प्रयास करें. मेरा यह भी मानना है कि संसदीय लोकतंत्र परस्पर मान-सम्मान से ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है. संविधान एवं विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष

एवं उपाध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी हैं. सभा के अंदर एवं सभा के बाहर इनके कृत्यों एवं आचरण के संबंध में भले ही कोई संहिता नहीं बन पाई हो लेकिन स्थापित मान्यता एवं अपेक्षा इन अधिकारियों से एक मर्यादा के पालन की है और यही कारण है कि सभा के अंदर यह परम्परा अब विकसित हो गई है कि उपाध्यक्ष प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन जैसे प्रक्रियागत मामलों में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते हैं. सभा के बाहर भी यथा संभव राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी उन्हें विवादास्पद मुद्दों से दूर रहना चाहिए. मेरा यह भी मानना है कि तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री मावलंकर ने जो उपरोक्त कथन किया है, वह कहने का शालीन तरीका था लेकिन उनकी अपेक्षा में निर्देश का भाव निहित है और यदि पीठासीन अधिकारी अपनी सीमायें या लक्ष्मण रेखा स्वयं तय कर लें तो इस प्रकार की स्थिति टाली जा सकती है.

मैं यह स्वीकार करता हूं कि इन संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति जब आसंदी पर रहते हैं, तब व्यवस्थाओं को बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जो कई बार उनके राजनीतिक दलों को नहीं भाते. और कई बार उन्हें अपरोक्ष रूप से आलोचना भी सहनी पड़ती है. अध्यक्ष पद के व्यक्ति को तो विशेषत: इन स्थितियों का सामना अधिक करना होता है. मैं इस सच्चाई से भी इंकार नहीं करता कि जहां इन दोनों अधिकारियों से पूर्णत: निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है, वहीं इन्हें अपने राजनीतिक कैरियर या भविष्य की रक्षा के लिए अपने दल के पास ही जाना पड़ता है. ऐसी स्थिति में वे कैसे और किस सीमा तक निष्पक्ष रह पायेंगे, कैसे अपनी दोहरी भूमिकाओं को निभा पाएंगे, यह एक गंभीर विचार का मुद्दा है और मैं इसे विद्वान दलीय नेताओं के विवेक पर छोड़ता हूं, कि वे इन स्थितियों के निराकरण की दृष्टि से इंग्लैण्ड जैसी स्वस्थ परम्परा बनाना चाहेंगे या नहीं ? किन्तु मैं यहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इन समस्त स्थितियों और वर्तमान व्यवस्थाओं के बावजूद, जो आज हमारे सामने है, उन स्थितियों को स्वीकार कर पीठासीन अधिकारियों को अपने कार्य व्यवहार एवं आचरण से न केवल निष्पक्ष रहना होगा अपितु निष्पक्ष दिखना भी होगा.

मैं विशेषाधिकार भंग की सूचना को सम्मति नहीं देता.

8. अशासकीय विधेयक

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-5 सन् 2003) के पुर: स्थापन की अनुमति चाही.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध किया.

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से पुर:स्थापनकर्त्ता सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने व्याख्यात्मक भाषण दिया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

व्यवधान होने से 3.47 बजे सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. 4.10 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारम्भ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: चर्चा प्रारंभ की.

माननीय सभापति ने छत्तीसगढ़ धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-5 सन् 2003) के पुर:स्थापन पर सदन का मत लिया.

अनुमति प्रदान नहीं की गई.

(भाजपा सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, गणेशराम भगत, हेमचंद यादव, अजय चन्द्राकर, गर्भगृह में आए).

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2003
(फाल्गुन 12, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. विशेष उल्लेख

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा माननीय अध्यक्ष ने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे आई. सी. सी. क्रिकेट विश्वकप में दिनांक 1 मार्च, 2003 को भारत की पाकिस्तान पर हुई शानदार विजय का उल्लेख किया तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से समवेत रूप से भारतीय क्रिकेट टीम को उसकी विजय पर बधाई दी.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने शिवनाथ नदी का पानी निजी क्षेत्र में सौंपे जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, ननकीराम कंवर, सदस्य ने जिला जशपुर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर कुनकुरी के स्पीप प्रदेश के मंत्री के साथ लूटपाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बम्हनी (नवाडीह) द्वारा तेंदूपत्ता बोनस वितरण में भ्रष्टाचार करने,

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने तहसील कुरूद के ग्राम छोटी करेली में निजी भूमि पर अवैध कब्जा होने,

3. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा मुख्य मार्ग में स्थित लछनपुर चौक से मदनपुरगढ़ मार्ग का नवीनीकरण एवं डामरीकरण शीघ्र कराये जाने,

4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह के आस-पास असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा किये जाने,

5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने कवर्धा जिले में स्थित शक्कर कारखाने में शेयर लेने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बाध्य किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

5. लोकलेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम - 221 के उपनियम (3) तथा 223 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोकलेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिये वित्तीय वर्ष 2003-2004 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री माधवसिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-234-ख के उपनियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2003-2004 की अवधि के लिये अपने में से 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि लोकलेखा, प्राक्कलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 2003 को दोपहर 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2003 को दोपहर 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष 1 में होगी.

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2003 को दोपहर 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है.

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2003 को 12.00 बजे दिन से दोपहर 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष 1 में होगा.

5. निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

7. वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, अग्नि चन्द्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल, मदनसिंह डहरिया, शिवरतन शर्मा.

श्री गणेशशंकर बाजपेयी, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री परेश बागबाहरा, श्री बृजमोहन अग्रवाल.

व्यवधान होने से 6.07 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई 6.17 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2003
(फाल्गुन 13, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्र.-407) पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 (क्र. - 615) पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री मदनगोपाल सिंह, ने तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय मंत्री द्वारा प्रकरण की सचिव स्तरीय जांच न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने बिलासपुर जिले के कोटा थानान्तर्गत राइट्स संस्था के पदाधिकारियों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया..

2. श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने राइस मिलों से लेव्ही के चावल के रूप में कनकी लिये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री, खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी को सम्मिलित न करने,

2. प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जिला सरगुजा के विकासखण्ड बतौली में स्थित पंचायत सरमना में गलफुली नाला में तटबंध योजनांतर्गत कटा पुलिया के कार्य में अनियमितता होने,

3. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के विकासखण्ड तमनार में उद्योगपतियों द्वारा कर्मचारियों एवं मजदूरों का शोषण करने,

4. श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने रायपुर स्थित डी. के. एस. भवन (मंत्रालय) में सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही से मंत्रालय असुरक्षित होने,

5. श्री जगजीतसिंह मक्कड़, सदस्य ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ द्वारा कृषकों को धान बिक्री की राशि अदा न करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित मांग संख्या-21, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या-28, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 प्रस्तुत की.

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, डोमेंद्र भेंडिया, अजय चन्द्राकर.

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, लीलाराम भोजवानी.

डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री जगजीतसिंह मक्कड़, श्री हरषद मेहता, श्री अमर अग्रवाल, श्री लोकेन्द्र यादव, डॉ. हरिदास भारद्वाज.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-67, एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-76 प्रस्तुत की.

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री नारायण प्रसाद चंदेल एवं धर्मजीत सिंह

चर्चा अपूर्ण रही.

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2003
(फाल्गुन 14, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 04 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

धर्मांतरण संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्र.-483) पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

व्यवधान होने से 12.31 बजे सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 12.43 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र.-499) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी सिजेंटा से सांठगांठ कर संरक्षित धान की किस्मों को गिरवी रखने की साजिश किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय कृषि मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

2. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी की भूख एवं दूषित पेयजल से मृत्यु होने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने अम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा) की रक्त प्रयोगशाला में खून की जांच में लापरवाही बरतने,

2. श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सक्ती में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण में गुणवत्ता में कमी होने,

3. श्री जगजीतसिंह मक्कड़, सदस्य ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशनरों को महंगाई भत्ते की कम प्रतिशत की राशि देने,

4. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने विद्युत मण्डल, भाटापारा, रायपुर में कार्यरत एक हेल्पर की पत्नी को मृत्युपरांत पति की भविष्य निधि की राशि प्राप्त न होने,

5. श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के ग्राम परकुंजी में भूमि को आबादी भूमि घोषित करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

माननीय सभापति ने जैसे ही श्री देवव्रत सिंह, सदस्य को उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत करने हेतु कहा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संकल्प में प्रयुक्त वाक्य "छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह मत है" के स्थान पर "सदन का यह मत है" वाक्य का प्रयोग होना चाहिए. अत: इस वाक्य को सुधार करने के पश्चात् ही संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के पृष्ठ-2 के (ञ) और (ढ़) में दिया है कि :-

(ञ) " विधान सभा" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा से है; तथा (ढ़) " सभा" का तात्पर्य विधान सभा से है.

अत: विधान सभा का तात्पर्य ही "सभा" है अत: प्रस्तुत आपत्ति अमान्य की जाती है.

5. उपाध्यक्ष को पद से हटाये जाने का संकल्प

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये :-

" छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह मत है कि सभा के उपाध्यक्ष, श्री बनवारीलाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाये, क्योंकि उन्होंने उच्च संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं किया है. संवैधानिक पद धारण करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पर लांछन लगाकर संविधान का हनन किया है और विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है."

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प में प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इस संबंध में विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं दी है कि अविश्वास प्रस्ताव में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उससे इस सदन की अवमानना हुई है.

माननीय सभापति ने सदन को सूचना दी कि उस विशेषाधिकार भंग की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है.

माननीय सभापति ने संकल्प पर मत लिया कि - " जो सदस्य इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति देने के पक्ष में हो वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदस्यों के खड़े होने पर)

माननीय सभापति ने घोषणा की कि चूंकि 9 से अधिक सदस्य खड़े हैं इसलिए इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

सभापति महोदय ने घोषणा की कि इस संकल्प पर दिनांक 10 मार्च, 2003 को विचार किया जायेगा.

(व्यवधान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सभा के उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल को उपाध्यक्ष पद से हटाये जाने का संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने के विरोध में नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया)

6. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

1. श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री के विभाग की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री अग्नि चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा.

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रामविचार नेताम.

श्री लखमा, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री राजेन्द्र पामभोई, श्री धरम कौशिक.

डॉ. सोहनलाल, प्रो. गोपालराम, श्री लीलाराम भोजवानी, श्री हरषद मेहता.

श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उज्जैन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं समाजसेवी श्री अरूण ऋषि का "हाथ की ताली से रोगों की चिकित्सा" विषय पर एक कार्यक्रम 10 मार्च, 2003 को 11 बजे विधान सभा परिसर के समिति कक्ष क्रमांक-2 में आयोजित है. सभी माननीय सदस्य इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, कृपया अवश्य लाभ लें.

8. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

2. श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने वन से संबंधित मांग संख्या-10 प्रस्तुत की.

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2003
(फाल्गुन 19, 1924)

1. राष्ट्रकुल दिवस का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रकुल दिवस 10 मार्च, 2003 का अनौपचारिक उल्लेख करते हुए उदगार व्यक्त किये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, ने भी उद्‌गार व्यक्त किये.

(श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रकुल दिवस के उपलक्ष्य में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि प्रदेश में लोकतंत्र की परम्पराओं का पालन नहीं हो रहा है. अत: लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका दल आज सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उनके चरणों में उपवास रखेगा. इस उल्लेख के बाद प्रतिपक्ष के सदस्य सदन से चले गए.)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से तथा प्रश्नकाल समय पूर्व समाप्त होने के कारण माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची का अगला विषय लेने की घोषणा की.

3. ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्यों को अनुपस्थित रहने से कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं व्यपगत मानी गई.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से नियम 267-क के अंतर्गत प्रस्तुत सूचनाएं व्यपगत मानी गई.

5. उपाध्यक्ष पद से दिये गये त्यागपत्र की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य, श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने दिनांक 09 मार्च, 2003 को उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

6. उपाध्यक्ष को पद से हटाये जाने के संबंध में प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

उपाध्यक्ष को पद से हटाये जाने के संबंध में संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री देवव्रत सिंह

द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2003 को प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी.

चूंकि माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने दिनांक 9 मार्च, 2003 को उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया है. अत: उक्त संकल्प पर सदन में चर्चा करने का अब कोई औचित्य नहीं है. अत: इस संकल्प को वापस माना जाय.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति दी गई.
संकल्प वापस हुआ.

7. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में सदस्य डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं राजेन्द्र पामभोई ने भाग लिया.

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री माधवसिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, आदिमजाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या- 33, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना से संबंधित मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-77, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर प्रारम्भ हुई चर्चा में सदस्य श्री गुलाबसिंह, ने भाग लिया.

श्री माधवसिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 3 मार्च, 2003 को लोकलेखा, प्राक्कलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया था. कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है. परिवर्तित कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 2003 के स्थान पर अब मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2003 को दोपहर 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2003 के स्थान पर अब बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2003 को दोपहर 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी.

शेष कार्यक्रम पूर्वानुसार यथावत् रहेगा.

9. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

3. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या-2, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-61, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या-79 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव नहीं हुए.

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में सदस्य डॉ. हरिदास भारद्वाज ने भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित मांग संख्या-11, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या- 56, ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या- 78 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में सदस्य श्री रामलाल भारद्वाज एवं श्री प्रेमसिंह सिदार ने भाग लिया.

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष के रिक्त पद हेतु निर्वाचन 13 मार्च, 2003 को होगा.

नाम-निर्देशन पत्र दिनांक 12 मार्च, 2003 को दोपहर 12.00 बजे के पूर्व दिए जा सकते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर के समिति कक्ष क्रमांक-2 में कल दिनांक 11 मार्च, 2003 को 11.00 बजे श्री अरूण ऋषि प्रसिद्ध समाजसेवी की ताली बजाकर रोगों के उपचार विषय पर परिचर्चा आयोजित है. सभी माननीय सदस्य इस आयोजन में सादर आमंत्रित हैं कृपया अवश्य लाभ उठायें.

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की ओर से चिरस्थायी स्वरूप का टेबिल केलेन्डर वितरित किया जा रहा है.

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हस्ताक्षर करके सूचना कार्यालय से प्राप्त करें.

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2003

(फाल्गुन 20, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने वरिष्ठ राजनेता श्री विद्याचरण शुक्ल पर हमला किये जाने के संबंध में सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, बनवारीलाल अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, रामविचार नेताम, ननकीराम कंवर, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, छतराम देवांगन, संजीव शाह, मेघाराम साहू की प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने प्रशासन के रवैये के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

3. ध्यानाकर्षण

1. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में खनिज संसाधनों का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में नक्सलियों द्वारा प्रदेश के अनेक भागों में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने नंदन वन में सरकारी उपेक्षा से भर्राशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने,

2. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने कोरबा जिले के पटवारियों द्वारा गांवों मे न जाकर तहसील कार्यालय में बैठकर नक्शे बनाये जाने से सही नक्शे न बनने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या-12 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्री धर्मजीत सिंह, इंजी. रामेश्वर खरे, श्री परेश बागबाहरा, श्री अमर अग्रवाल, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, श्री अग्नि चन्द्राकर, श्री रामविचार नेताम, श्री हरषद मेहता एवं श्री लखमा ने भाग लिया.

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या-39 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्ताव पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में सदस्य श्री लीलाराम भोजवानी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर, डॉ. छबिलाल रात्रे, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, इंजी. रामेश्वर खरे, श्री हरषद मेहता, श्री रामविचार नेताम ने भाग लिया.

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2003
(फाल्गुन 21, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 04 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

(तारांकित प्रश्न संख्या-5 (क्र. 1333) (ग्यारहवें वित्त आयोग की राशि स्वीकृति बाबत) पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने सरकार द्वारा विपक्षी सदस्यों के क्षेत्रों की उपेक्षा करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002 पटल पर रखा.

2. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (दिनांक 23/5/2001 से 31/03/2002 तक) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखा.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

व्यवधान के बीच भाजपा सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, जगजीत सिंह मक्कड़, विक्रमदास मोहले, अमर अग्रवाल, धरम कौशिक, मेघाराम साहू, नारायण प्रसाद चंदेल, संजीव शाह, रामविचार नेताम गर्भगृह में आए.

व्यवधान होने से 1.49 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित हुई 2.03 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही भाजपा सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, जगजीत सिंह मक्कड़, विक्रमदास मोहले, अमर अग्रवाल, धरम कौशिक, मेघाराम साहू, नारायण प्रसाद चंदेल, संजीव शाह, ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, चोवादास खाण्डेकर, गणेशराम भगत, छतराम देवांगन गर्भगृह में आकर बैठ गए.

4. गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर व्यवधान उत्पन्न किया गया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, जगजीत सिंह मक्कड़, विक्रमदास मोहले, अमर अग्रवाल, धरम कौशिक, मेघाराम साहू, नारायण प्रसाद चंदेल, संजीव शाह, ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, चोवादास खांडेकर, गणेशराम भगत, छतराम देवांगन.

माननीय सभापति ने घोषणा की कि विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन ऐसे सदस्य को जो गर्भगृह में प्रवेश करता है, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित माना जायेगा.

अत: वे उक्त माननीय सदस्यों को आज की सभा की कार्यवाही से निलंबित करते हैं.

व्यवधान होने से 2.06 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.41 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

(निलंबित भाजपा सदस्यों ने गर्भगृह में नारे लगाये)

कार्य सूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 02 एवं याचिकाएं व्यपगत मानी गई.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विशेष पुलिस स्थापना (निरसन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) पुर:स्थापित किया.

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2003
(फाल्गुन 22, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये.

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक-917) (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित निवेश प्रोत्साहन बोर्ड) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भाजपा सदस्यों ने जन प्रतिनिधियों के खिलाफ अपराधिक मुकदमें दर्ज करने संबंधी मामले में सदन की समिति गठित करने की मांग की. व्यवधान के बीच भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये.

व्यवधान होने से 1.16 बजे सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 1.41 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

1. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक-5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2001/वा. क./पांच (8), दिनांक 01 फरवरी, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2002/वा.क./पांच (9), दिनांक 02 फरवरी, 2002
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2002/वा.क./पांच (10), दिनांक 07 फरवरी, 2002
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2002/वा.क./पांच (13), दिनांक 07 फरवरी, 2002
(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2002/वा.क./पांच (15), दिनांक 12 फरवरी, 2002
(6) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2002/वा.क./पांच (19), दिनांक 12 फरवरी, 2002
(7) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-377/2002/वा.क./पांच (43), दिनांक 03 अप्रैल, 2002
(8) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2002/वा.क./पांच (45), दिनांक 05 अप्रैल, 2002
(9) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2002/वा.क./पांच (46), दिनांक 05 अप्रैल, 2002
(10) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-52/2002/वा.क./पांच (65), दिनांक 28 मई, 2002
(11) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-377/2001/वा.क./पांच (68), दिनांक 14 जून, 2002
(12) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2002/वा.क./पांच (72), दिनांक 17 जून, 2002
(13) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-66/2002/वा.क./पांच (85), दिनांक 24 जुलाई, 2002
(14) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-68/2002/वा.क./पांच (86), दिनांक 26 जुलाई, 2002
(15) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-69/2002/वा.क./पांच (87), दिनांक 26 जलाई, 2002
(16) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-77/2002/वा.क./पांच (95), दिनांक 28 अगस्त, 2002

(17) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2002/वा.क./पांच (96), दिनांक 3 सितम्बर, 2002
(18) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-382/2001/वा.क./पांच (105), दिनांक 05 अक्टूबर, 2002
(19) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2001/वा.क./पांच (112), दिनांक 02 नवम्बर, 2002
(20) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-85/2002/वा.क./पांच (118), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002
(21) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2002/वा.क./पांच (120), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002
(22) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-96/2002/वा.क./पांच (121), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002

2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक-74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2002/वा.क./पांच (14), दिनांक 08 फरवरी, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2002/वा.क./पांच (16), दिनांक 12 फरवरी, 2002
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2002/वा.क./पांच (17), दिनांक 12 फरवरी, 2002
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2002/वा.क./पांच (70), दिनांक 17 जून, 2002
(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2002/वा.क./पांच (71), दिनांक 17 जून, 2002
(6) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2002/वा.क./पांच (73), दिनांक 17 जून, 2002
(7) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2002/वा.क./पांच (92), दिनांक 21 अगस्त, 2002
(8) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2002/वा.क./पांच (119), दिनांक 31 दिसम्बर, 2002

3. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2002/वा.क./पांच (11), दिनांक 07 फरवरी, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2002/वा.क./पांच (12), दिनांक 07 फरवरी, 2002
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2002/वा.क./पांच (42), दिनांक 03 अप्रैल, 2002
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2002/वा.क./पांच (44), दिनांक 05 अप्रैल, 2002
(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-69/2002/वा.क./पांच (88), दिनांक 26 जुलाई, 2002
(6) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-65/2002/वा.क./पांच (111), दिनांक 02 नवम्बर, 2002
(7) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2002/वा.क./पांच (115), दिनांक 19 दिसम्बर, 2002

3. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

1. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में राहत कार्य नहीं खुलने से मजदूरों द्वारा अन्य प्रांतों में पलायन किए जाने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य, एवं

2. श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य की जिला कोरबा के थाना कुसमुन्दा अन्तर्गत ग्राम पथरी के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य,

पढ़े हुए माने गए.

4. नियम-267 (क) के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 (क) के अधीन लंबित सूचनाओं में से 17 सूचनाएं नियम 267 (क) (2) को शिथिल कर आज दिनांक 13-3-2003 को सदन में लिए जाने की उन्होने अनुज्ञा प्रदान की है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा उन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री गणेशराम भगत, सदस्य की प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद के विरुद्ध संविदा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती किए जाने संबंधी,

2. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा के कृषि फार्म चलना (सीतापुर) में राहत कार्य में ग्राम चलना और सूर के मजदूरों को कार्य नहीं दिए जाने संबंधी,

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सतबहैनिया मंदिर (श्री राम चौक) टिकरा पारा में बरसात के पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गली एवं घरों में पानी भर जाने की समस्या संबंधी,

4. श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की जशपुर जिले के सिंगीबहार ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था का पूर्णत: धराशायी होने संबंधी,

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीकरण नहीं होने संबंधी,

6. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिला के मानपुर पुलिस थाना अंतर्गत व्यक्ति की हत्या की जाने संबंधी,

7. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की चांपा राजकीय मार्ग चांपा सिवनी, उमरेली, जर्वे, अचानकपुर की सड़कों का निर्माण किए जाने संबंधी,

8. श्री हीरासिंह मरकाम, सदस्य की कोरबा जिले के पाली विद्युत उपकेन्द्र अंतर्गत विद्युत प्रवाह ठप्प होने संबंधी,

9. श्री चोवादास खांडेकर, सदस्य की ग्राम पंचायत अमोरा, जिला-बिलासपुर में तालाब गहरीकरण के लिए स्वीकृत राहत मद की राशि से सरपंच द्वारा गबन किए जाने संबंधी,

10. श्री धरम कौशिक, सदस्य की जनपद पंचायत सरायपाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा छपवाए गए नीले राशन कार्ड में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता होने संबंधी,

11. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिला अंतर्गत विकासखंड छुरिया के अंतर्गत खुर्सीपार सोसायटी के समिति प्रबंधक द्वारा श्रमिकों का शोषण किए जाने संबंधी,

12. श्री अमर अग्रवाल, सदस्य की बिलासपुर के अशोक नगर सरकंडा में बिना पूर्व सूचना के झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने संबंधी,

13. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में महिला समूह को मछली पालन के लिए पट्टा नहीं दिए जाने संबंधी,

14. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की विकास खंड डबरा के ग्राम में राजस्व अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने संबंधी,

15. श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य की सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजनाओं का निष्प्रयोजन किये जाने संबंधी.

16. श्री रामविचार नेताम, सदस्य की सरगुजा जिले के राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत स्कूल भवन की शेष राशि का भुगतान न किए जाने संबंधी,

17. श्री संजीव शाह, सदस्य की राजनांदगांव जिला अंतर्गत मोहला विकास खंड के ग्राम बोईडीह में मूलभूत व्यवस्थाओं का अभाव होने संबंधी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

1. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले के :-

(1) ग्राम पंचायत लिमतरा के आश्रित ग्राम नवापारा एवं मुख्यालय ग्राम बिमतरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने,

(2) विकासखंड शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा में बोरई नाला पर पुल निर्माण करने,

(3) ग्राम पंचायत नंदौर खुर्द विकासखंड सक्ति में कन्या हाई स्कूल की स्थापना करने,

(4) रायपुरा पंचायत जैजेपुर खंड जिला जांजगीर-चांपा में पूर्व माध्यमिक शाला भवन की छत का पुन: निर्माण किए जाने,

2. श्री गुलाब सिंह, सदस्य की ग्राम दुगला धवाईयां, पो. आ. लहारी, तहसील मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के निवासियों को वन विभाग की जमीन में अपने मकान का पट्टा दिये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई.

(व्यवधान के बीच भाजपा सदस्य सर्वश्री ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, अमर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, लीलाराम भोजवानी, छतराम देवागंन, अजय चन्द्राकर, गणेश राम भगत, जगजीत सिंह मक्कड़, मेघाराम साहू, विक्रम दास मोहले, संजीव शाह गर्भगृह में आए)

6. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का नाम प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया. अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव प्रथम प्रस्तुत नहीं हुआ.

2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य है, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए."

डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया.

3. श्री मंतूराम पवार, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य है, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए."

श्री अग्नि चन्द्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य को छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की.

7. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "यह सभा, उस रीति से जैसा अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए अपने में से 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिए जा सकते हैं.

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2003 को अपराह्न 5.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी.

3. उम्मीदवार, से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है.

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार दिनांक 27 मार्च, 2003 को मध्याह्न 12.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा.

5. निर्वाचन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

8. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांग पर चर्चा

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44, विज्ञान एवं टेक्नालाजी से संबंधित मांग संख्या-46, तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या-47 प्रस्तुत कीं.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कंटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या-30, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-59 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. श्रीमती गीतादेवी सिंह, कल्याण मंत्री ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित मांग संख्या-55, प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या-13, पशुपालन विभाग से संबंधित मांग संख्या-14, मछली पालन से संबंधित मांग संख्या-16, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या-17, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-54, पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-71 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने खनिज साधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित मांग संख्या-32 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य जिन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया है आज सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

सर्वश्री ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, अमर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, लीलाराम भोजवानी, छतराम देवांगन, अजय चंद्राकर, गणेश राम भगत, जगजीत सिंह मक्कड़, मेघाराम साहू, विक्रमदास मोहले, संजीव शाह.

सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2003
(चैत्र 3, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियम) अधिनियम, 2002 (क्रमांक-2, सन् 2002) की धारा 5 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उच्च शिक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी :-

1. अधिसूचना क्रमांक एफ - 73/77/2002/एच ई/38, दिनांक 07 सितम्बर, 2002
2. अधिसूचना क्रमांक एफ - 73/105/उशि/02, दिनांक 27 सितम्बर, 2002
3. अधिसूचना क्रमांक एफ - 73/125/एच ई/02, दिनांक 18 अक्टूबर, 2002
4. अधिसूचना क्रमांक एफ - 679/आ उ शि/नि क्षे वि/02, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002
5. अधिसूचना क्रमांक एफ - 73/128/एच ई/02, दिनांक 29 नवम्बर, 2002
6. अधिसूचना क्रमांक एफ - 3598/एफ-44/90/एच ई/2002, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002
7. अधिसूचना क्रमांक 3601/एफ-73/140/एच ई/02, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002
8. अधिसूचना क्रमांक एफ - 73/148/उ शि/2003/158, दिनांक 07 जनवरी, 2003

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्रशासन का राजनीतिकरण कर शासकीय कार्यक्रमों की पार्टी का कार्यक्रम बना दिये जाने के संबंध में सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, बनवारीलाल अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, नारायण प्रसाद चंदेल, संजीव शाह की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सहमति प्रदान की.

माननीय अध्यक्ष ने शासन की सहमति के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की घोषणा की तथा इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सायं 5.00 बजे का समय नियत किया.

4. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, लीलाराम भोजवानी, महेश तिवारी, सदस्य ने इन्द्रावती नदी का जल प्रवाह परिवर्तित होने से बस्तर क्षेत्र में जल संकट होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. शक्राजीत नायक, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल एवं शिवरतन शर्मा, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य परिवहन निगम की बसें बंद होने से यात्रियों को हो रही परेशानी की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने रायपुर जिले में जचकी कराने वाली दाईयों को मानदेय की राशि प्राप्त नहीं होने,

2. प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने सरगुजा जिले के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों पर ट्यूशन के लिए जबर्दस्ती दबाव डालने,

3. श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत कोडेमारा में अधिकारियों द्वारा अनियमितता करने,

4. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव के महिला पालीटेक्निक कालेज में कर्मचारियों एवं भवन की समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत फरवरी - अप्रैल, 2001 सत्र में सभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 8 मई, 2001 को अनुमति दे दी है.

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2003 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित विधेयकों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ राजमार्ग विधेयक, 2003	1 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2003	1 घंटा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 24 मार्च, 2003 से 28 मार्च, 2003 तक सदन की कार्यवाही रात्रि 7.00 बजे तक होगी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के :-

1. बम्हनीडीह विकास खंड के ग्राम लखाली एवं लखुर्री के बीच स्थित जमड़ी नाला में स्टापडेम निर्माण किये जाने के संबंध में,

2. जिला मुख्यालय जांजगीर नगर एवं चांपा नगर में भूमिगत नाली का निर्माण किए जाने के संबंध में,

3. जिला जांजगीर में स्थित ठाकुर छेदी लाल शासकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पी. जी.) महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में,

4. राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ग्राम बनारी (जांजगीर) एवं ग्राम तिलाई (अकलतरा) के बीच स्थित कन्जी नाला पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाने के संबंध में,

5. जिला मुख्यालय जांजगीर में शासकीय कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के संबंध में,

6. जिला मुख्यालय जांजगीर से केरा तक के अत्यन्त जर्जर सड़क का निर्माण शीघ्र किए जाने के संबंध में,

7. जिला मुख्यालय जांजगीर में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल प्रारंभ किए जाने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत की.

9. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या-3, गृह विभाग से संबंधित मांग संख्या-4, जेल से संबंधित मांग संख्या-5, परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65 प्रस्तुत की.

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री गौरीशंकर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. रामलाल भारद्वाज.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या-6, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मांग संख्या-7, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-31, ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान से संबंधित मांग संख्या-48, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित मांग संख्या-50, जिला परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-60, प्रस्तुत की.

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री जगजीत सिंह मक्कड़.

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. स्थगन प्रस्ताव (5.02 बजे चर्चा प्रारम्भ) क्रमशः

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन का राजनीतिकरण कर शासकीय कार्यक्रमों की पार्टी का कार्यक्रम बना दिये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री.

श्री नारायण प्रसाद चंदेल.

श्री अग्नि चन्द्राकर, श्री शिवरतन शर्मा, राजस्व मंत्री श्री भूपेश बघेल.

मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2003
(चैत्र 4, 1925)

1. अध्यक्षीय दीर्घा में विशिष्ट अतिथि के उपस्थित होने की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस में नेफरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. एस. सी. तिवारी उपस्थित हैं. वे रायपुर के ही निवासी हैं. यह सदन उनका स्वागत करता है.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि विधान सभा परिसर में आज सायं 7.00 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिसमें डॉ. तिवारी का व्याख्यान भी होगा. कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित हैं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 03 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

नगरपालिका परिषद् सक्ती अंतर्गत नगरपालिका अधिनियम की धारा-57 के तहत विशेष सम्मेलन आहूत किये जाने हेतु दिया गया ज्ञापन संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र.- 1474) पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गणेशराम भगत, मेघाराम साहू, लीलाराम भोजवानी, चोवादास खाण्डेकर, रामविचार नेताम, विक्रम मोहले, नारायण प्रसाद चंदेल, अजय चन्द्राकर, जगजीत सिंह मक्कड़, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, धरम कौशिक गर्भगृह में आए तथा नारे लगाये.

व्यवधान होने से 12.46 बजे सभा की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई. 1.26 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-13 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

2. श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ राजमार्ग विधेयक, 2003 (क्रमांक-14 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

(भाजपा सदस्य सर्वश्री हेमचंद यादव तथा ननकीराम कंवर ने भी गर्भगृह में प्रवेश किया.)

4. गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज सभा की कार्यवाही के दौरान सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण

निम्नांकित सदस्य विधान सभा प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 250 (1) के अंतर्गत स्वमेव निलंबित हो गये :-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल
2. श्री शिवरतन शर्मा
3. श्री गणेशराम भगत
4. श्री मेघाराम साहू
5. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
6. श्री जगजीत सिंह मक्कड़
7. श्री रामविचार नेताम
8. श्री धरम कौशिक
9. श्री चोवादास खाण्डेकर
10. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
11. श्री अजय चन्द्राकर
12. श्री विक्रम मोहले
13. श्री लीलाराम भोजवानी
14. श्री हेमचंद यादव
15. श्री ननकीराम कंवर

उपरोक्त सदस्यों की निलंबन अवधि आज दिन भर की है. माननीय सभापति ने गर्भगृह में प्रविष्ट सदस्यों से अनुरोध किया कि कृपया सदस्यगण सभा से बाहर जायें.

(निलंबित सदस्य सभा भवन में ही नारे लगाते रहे)

5. वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांग पर चर्चा

1. श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, राजस्व विभाग से संबंधित मांग संख्या- 9, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत से संबंधित मांग संख्या-58 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री शंकर सोढ़ी, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने श्रम से संबंधित मांग संख्या-18, खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. श्री धनेंद्र साहू, पर्यटन मंत्री ने संस्कृति विभाग से संबंधित मांग संख्या-26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या-37, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या-51, प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. डॉ. शक्राजीत नायक, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, आयाकट विभाग से संबंधित मांग संख्या-40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-75 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. श्री गंगूराम बघेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या - 20 प्रस्तुत की.

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के गर्भगृह में रहने से मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य क्रमशः

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2003 (क्रमांक-4 सन् 2003) पुरः स्थापित किया.

बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2003
(चैत्र 5, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में दिनांक 25 फरवरी, 2003 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक - 448) सहित शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल काल के बाद माननीय अध्यक्ष ने

माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे के विरूद्ध संविधान की 10वीं अनुसूची एवं दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के अंतर्गत

दिए गए आवेदन पर अपना आदेश पढ़कर सुनाया :-

माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने दिनांक 26 मार्च, 2001 को एक अर्जी संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे के निरर्हता से ग्रसित होने के संबंध में प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होने के बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल होने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सम्पूर्ण गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सा लेने और कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों से संबद्ध रहने का कथन करते हुए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के नियम 2 (2) के अंतर्गत उन्हें सदस्यता से निर्हर घोषित करने की मांग की थी.

माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल से प्राप्त अर्जी पर मैंने श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे से टिप्पणी प्राप्त की जो मुझे दिनांक 30 मई 2001 को मिली. श्री धृतलहरे ने श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा उनकी अर्जी में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु का बिन्दुवार खंडन किया और यह भी कथन किया कि चूंकि अर्जीद्वार द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा दल परिवर्तन आधार पर निरर्हता नियम 1986 के नियम 6 (2), 6 (6), 6 (7) का पालन नहीं किया गया है, अत: अर्जी उपरोक्त नियमावली के नियम 7 (2) के प्रावधानों के तहत रद्द किए जाने योग्य है.

श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा उठाये गए बिन्दु एवं उन पर श्री धृतलहरे द्वारा किए गए कथन को विचार में लेते हुए मैंने प्राप्त अर्जी को गुण-दोषों के आधार पर विचार कर अपनी अनुशंसा करने हेतु 24 जून, 2001 को प्रकरण विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया था. समिति ने मुझे अपना प्रतिवेदन दिनांक 5 मार्च, 2003 को प्रस्तुत किया है. समिति ने अर्जी में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर बिन्दुवार अपनी अनुशंसायें प्रेषित करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल यह प्रतिपादित करने में सफल नहीं हो सके कि माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे संविधान की 10वीं अनुसूची एवं उसके अंतर्गत बनाए गए दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के अंतर्गत सदस्य के रूप में निरहित हो गए हैं.

समिति द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर प्रस्तुत विवेचना से मैं अपने आपको भी सहमत पाता हूं. समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर मेरा आदेश निम्नानुसार है :-

1. संविधान की 10वीं अनुसूची एवं दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 1986 के अंतर्गत अर्जीदार सदस्य अर्जी में उठाये गये बिन्दुओं को दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हो सके हैं कि माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे ने संविधान की 10वीं अनुसूची अथवा उसके अंतर्गत निर्मित दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत निरर्हता अर्जित कर ली है.

2. संविधान की 10वीं अनुसूची के क्रमांक 2 (2) के अंतर्गत अर्जीदार सदस्य यह भी प्रतिपादित नहीं कर सके हैं कि माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गए हैं.

न्याय के हित में यह आवश्यक है कि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत अर्जीद्वार सदस्य, अर्जी में उठाये गये बिन्दुओं को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित भी करें और जब तक अर्जीदार सदस्य अपने कथन को प्रमाणित नहीं कर पाता, तब तक किसी सदस्य को संविधान की 10वीं अनुसूची अथवा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत सदस्यता से निर्हरित नहीं किया जा सकता.

माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तत्पश्चात् वे मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत से सम्मिलित भी हुए और मंत्री पद एक संवैधानिक पद है, इसकी राजनीतिक पद से तुलना नहीं की जा सकती.

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि माननीय सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे मंत्री रहते हुए कभी भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे और उन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में हिस्सा लेने हेतु सूचना पत्र भी जारी नहीं किया जाता था. निर्दलीय सदस्य को केवल इस आधार पर कि वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए हैं, सदस्य के रूप में निर्हरित नहीं ठहराया जा सकता.

अत: मैं राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 (1) से प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से छत्तीसगढ़ विधान सभा (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के अंतर्गत प्राप्त अर्जी के संबंध में प्रकरण के समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों पर एवं समिति द्वारा अर्जी में उठाये गए बिन्दुओं की विवेचना पर विचारोपरांत यह विनिश्चित करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे जो कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 72 से छत्तीसगढ़ की 11वीं विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, निरर्हता से ग्रसित नहीं हुए हैं.

(भाजपा सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2003 को सदन में उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर दु:ख व्यक्त करते हुए तथा उनके विभाग से विषयों पर किसी प्रकार का सहयोग न करने का उल्लेख करते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री की छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक-5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वित्त एवं योजना विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-64/2002/वा.क./पांच (80), दिनांक 11 जुलाई, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-70/2002/वा.क./पांच (89), दिनांक 2 अगस्त, 2002
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-80/2002/वा.क./पांच (99), दिनांक 12 सितम्बर, 2002
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-81/2002/वा.क./पांच (100), दिनांक 12 सितंबर, 2002
(5) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-82/2002/वा.क./पांच (101), दिनांक 12 सितंबर, 2002
(6) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-94/2002/वा.क./पांच (116), दिनांक 28 दिसम्बर, 2002

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री की छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक-52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वित्त एवं योजना विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-65/2002/वा.क./पांच (81), दिनांक 12 जुलाई, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-71/2002/वा.क./पांच (90), दिनांक 2 अगस्त, 2002
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-83/2002/वा.क./पांच (102), दिनांक 12 सितंबर, 2002
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-84/2002/वा.क./पांच (103), दिनांक 16 सितंबर, 2002

3. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक मंत्री की केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक - 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्त एवं योजना विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी हुई मानी गई :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-72/2002/वा.क./पांच (91), दिनांक 7 अगस्त, 2002
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-95/2002/वा.क./पांच (117), दिनांक 28 दिसंबर, 2002

4. ध्यानाकर्षण

1. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जांजगीर-चांपा अंतर्गत चल रहे कार्यों में अनियमिता होने संबंधी प्रथम ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.

2. श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने बस्तर में नक्सलियों की आड़ में खनिज पदार्थों की तस्करी किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 सूचनाएं दिनांक 26-3-2003 को सदन में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की कृषि विभाग में कार्यरत लेखापाल एवं लेखा परीक्षकों को अनुरूप वेतनमान नहीं मिलने संबंधी,

2. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड मुख्यालय स्थित विद्युत उप केन्द्र में फीडरों के लिये अलग-अलग ब्रेकर न होने से सभी फीडरों में विद्युत प्रवाह बंद होने संबंधी,

3. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की महासमुंद जिले के ग्राम खैरझिट्टी में मृतक पतिराम की विधवा पत्नी को शासन द्वारा पेंशन एवं प्रदत्त राशि प्राप्त न होने संबंधी,

4. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा में लोक निर्माण विभाग द्वारा घटिया स्तर का सड़क निर्माण किये जाने संबंधी,

5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की कवर्धा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनिया के सरपंच द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार होने संबंधी,

6. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या होने संबंधी,

7. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत डभरा विकास खण्ड के किसान को मुआवजा राशि न प्राप्त होने संबंधी,

8. श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र तखतपुर में व्यपवर्तन योजना के तहत सफाई एवं मरम्मत न किये जाने से किसानों की फसलों को नुकसान होने संबंधी,

9. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जिला मुख्यालय जांजगीर में स्थित विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विधि के पद स्वीकृत न होने से अध्ययन कार्य प्रभावित होने संबंधी,

10. श्री गणेशराम भगत, सदस्य की रायगढ़ जिला के अंतर्गत राहत मद के पैसे को अनावश्यक खर्च किये जाने संबंधी.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

1. श्री अन्तुराम कश्यप, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

2. डॉ. सोहनलाल, सदस्य ने याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

3. डॉ. रामलाल भारद्वाज, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2003 (क्रमांक-4 सन् 2003) पर विचार किया जाये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बनवारीलाल अग्रवाल.

व्यवधान होने से 1.54 बजे सभा की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.02 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही पुनः व्यवधान होने से 2.11 बजे सभा की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.42 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, नारायण प्रसाद चंदेल.

श्री शिवरतन शर्मा, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री रामविचार नेताम.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बनें.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

2. श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक-3 सन् 2003) पर विचार किया जाए.

सर्वश्री ननकीराम कंवर, अग्नि चन्द्राकर सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 15 विधेयक का अंग बनें.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाये.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

3. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

4. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

5. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

6. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

7. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

8. श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्री बनवारीलाल अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

9. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष पुलिस स्थापना (निरसन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, रामलाल भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विशेष पुलिस स्थापना (निरसन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

10. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

11. श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजमार्ग विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया.

श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 66 विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजमार्ग विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

गुरूवार, दिनांक 27 मार्च, 2003
(चैत्र 6, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

दिनांक 5 मार्च, 2003 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या-5 (क्र. 499) सहित प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(भाजपा सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने लोक आयोग का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत होने के पूर्व ही समाचार पत्रों में प्रकाशित होने तथा सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प

	अशासकीय संकल्प		समय
1.	(क्रमांक-25)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	1 घंटा
2.	(क्रमांक-19)	श्री डोमेन्द्र भोंडिया	45 मिनट
3.	(क्रमांक-08)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	45 मिनट

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :-

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन

अधिनियम, 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार :-

1. विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001 (छत्तीसगढ़ सरकार),
2. विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001 (मध्यप्रदेश सरकार),
3. वित्त लेखे वर्ष 2000-2001 (छत्तीसगढ़ सरकार) का दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से दिनांक 31 मार्च, 2001 तक, तथा
4. वित्त लेखे वर्ष 2000-2001 (मध्यप्रदेश सरकार) का दिनांक 01 अप्रैल, 2000 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 तक पटल पर रखे गये माने गये.

4. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर एक घन्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

इस संबंधी में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. श्री शिवरतन शर्मा (सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल) सदस्य ने प्रदेश में वन माफियाओं द्वारा वनों की अवैध कटाई किये जाने के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा के मैनपाठ पहाड़ से बाक्साइट का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी द्वितीय ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.

3. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कृषि उपज मंडी, धमतरी के सचिव द्वारा राशि का गबन किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, कृषि द्वारा इस पर वक्तव्य दिया गया.

4. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता होने के संबंध में खाद्य मंत्री, का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री, खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं दिनांक 27-3-2003 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जोयगा :-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी पाने के अवसर से वंचित होने संबंधी,
2. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के बड़गांव चारभाठा के पंचायत कर्मी द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना होने संबंधी,
3. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा जिला के विकासखंड सुबरलोट के स्टाप डेम में घटिया निर्माण होने संबंधी,
4. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा के विकासखण्ड मैनपाठ स्थित काराबेल से कमलेश्वरपुर तक सड़कों की मरम्मत पर हजारों रु. का व्यय किये जाने संबंधी,
5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की प्रदेश में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नती हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किये जाने संबंधी,
6. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत ग्राम सोनसरी में पानी की टंकी का निर्माण होने संबंधी,
7. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की खरसिया तहसील अंतर्गत आदिवासी की जमीन पर कब्जा किये जाने संबंधी,
8. श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की तखतपुर विधान सभा के अंतर्गत घोंछा जलाशय के हितग्राहियों को मुआवजा राशि प्राप्त न होने संबंधी,
9. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की चन्द्रपुर विधान सभा अंतर्गत सरपंच द्वारा राशि हड़पी जाने संबंधी,
10. श्री संजीव शाह, सदस्य की चौकी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरसुर में बांध निर्माण के हितग्राहियों को मुआवजा प्राप्त न होने संबंधी,
11. श्री सोहन लाल, सदस्य की जिला सरगुजा वाड्रफनगर के गुडरू वनोपज समिति का तेंदूपत्ता बोनस राशि मजदूरों को न मिलने संबंधी.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1. श्री मदन गोपाल सिंह, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
2. श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने विशेषाधिकार समिति का पुनर्विचारित द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
3. श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 (क्रमांक-16 सन् 2003) पुर:स्थापित किया.
2. श्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री ने हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2003 (क्रमांक - 15 सन् 2003) पुर:स्थापित किया.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य नहीं खुलने से पलायन होने तथा जहां राहत कार्य खुले हैं उसमें अनियमितता होने कें संबंध में श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की.

सदस्य सर्वश्री अग्नि चन्द्राकर, छतराम देवांगन, लखमा.

सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, मदनसिंह डहरिया, शिवरतन शर्मा, डॉ. सोहन लाल, श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती श्यामा ध्रुवा, श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, डॉ. हरिदास भारद्वाज.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003
(चैत्र 07, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

दिनांक 13 मार्च, 2003 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित ता. प्र. सं. 10 (क्र. 917) सहित प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मागों पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए सरकार के व्यवहार के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -01-26/2002/1/6 दिनांक 10 फरवरी, 2003 के साथ संलग्न शुद्धि-पत्र पटल पर रखा.

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन्, 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) का अड़तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 (दिनांक 1-7-01 से दिनांक 30-6-2002 तक) पटल पर रखा.

3. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्य-सूची में 42 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम - 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

1. सर्वश्री बनवारी लाल अग्रवाल, चैनसिंह सामले, सदस्य ने जिला कोरबा अंतर्गत बालकों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर अनुसूचित जाति के लोगों की ठेला गुमटी जलाई जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में बीजों के क्रय, विक्रय एवं वितरण में अनियमितता किये जाने तथा किसानों से धान बीज न खरीदे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसासय सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री चैनसिंह सामले, सदस्य के जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.

4. श्री शिवरतन शर्मा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने धमतरी शहर की गरीब बस्तियों में फाईलेरिया (हाथी पांव) की बीमारी फैलने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे गये वक्तव्य

5. श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य की बिन्द्रानवागढ़ विकासखंड के घुमरापहर डेम पर डोहेल जलाशय हेतु अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

6. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की अंबिकापुर से पत्थलगांव सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

7. श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य की रायपुर-देवभोग सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

8. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य प्रदेश में राहत कार्य न खोले जाने से मजदूरों द्वारा रोजगार की तलाश में अन्य प्रान्तों में पलायन किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

9. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

10. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा में हरे वृक्षों की कटाई किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

11. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य घरघोड़ा, लैलूंगा सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

12. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गणेशराम भगत, शिवरतन शर्मा, सदस्य प्रदेश में पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम जनता को परेशान किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

13. श्री छतराम देवांगन, सदस्य जिला जांजगीर-चांपा की ग्राम पंचायत लखाली में अनियमितता व्याप्त होने संबंधी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

14. सर्वश्री नंदकुमार साय, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य रायपुर जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम खैरझिटी निवासी द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

15. श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर अंतर्गत ग्राम गोढ़ी थाना भाटापारा के मजदूरों को बंधन बनाये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

16. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा सदस्य की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में अनियमितता संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

17. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, महेश तिवारी, शिवरतन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में पालीपेक में जहरीली दूध का विक्रय संबंधी सूचना एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

18. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सदस्य की अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध न कराये जाने संबंधी सूचना एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

19. सर्वश्री ननकीराम कंवर, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की कोरबा जिले की कोसमंदा कोयला खदान के भू-विस्थापितों को मुआवजा न मिलने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

20. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव शहर की नवीन पेयजल आवर्धन योजना अपूर्ण होने से पेयजल की आपूर्ति में असुविधा संबंधी सूचना एवं नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

21. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश के बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर ठगी संबंधी सचूना एवं गृहमंत्री का वक्तव्य.

22. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की अभनपुर जिला रायपुर में बालिकाओं के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य.

23. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत जोब में भ्रष्टाचार व्याप्त होने संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

24. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा के अंतर्गत राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजना में कराये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

25. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जशपुर के कार्यपालन यंत्री द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये लाखों रुपयों के निर्माण कार्यों के ठेके दिये जाने संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

26. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य की उद्योग मंत्री के काफिले पर नक्सलियों द्वारा हमला किये जाने संबंधी सूचना एवं गृहमंत्री का वक्तव्य.

27. सर्वश्री रजिन्दरपालसिंह भाटिया, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की राजनांदागांव जिला अंतर्गत छुरिया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य.

28. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की मृत शासकीय सेवकों के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति न दिये जाने संबंधी सूचना एवं सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

29. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की बिलासपुर, कोरबा व जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल पाने संबंधी सूचना एवं कृषि मंत्री का वक्तव्य.

30. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की प्रदेश में धान खुले में पड़े रहने से खराब होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

31. श्री महेश तिवारी, श्री नंदकुमार साय, सदस्य की कोरबा जिले के ग्राम रतिजा में कोलबाशरी संयंत्र लगाने हेतु गैर कानूनी ढंग से भूमि का आवंटन किये जाने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

32. श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की रायपुर जिले के गरियाबंद व छुरा विकासखंड में अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना एवं खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

33. श्री रामविचार नेताम, सदस्य की सरगुजा जिले की पंचायतों में मध्यान्ह भोजन हेतु राशि आवंटन में अनियमितता संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

34. श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य की जांजगीर-चांपा में निर्माण कार्यों में अनियमितता संबंधी सूचना एवं पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

35. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की जिला केन्द्रीय बैंक शाखा डभरा के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ता सामग्री की चोरी होने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

36. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अमर अग्रवाल, संजीव शाह, सदस्य की जिला बस्तर में टीन का अवैध उत्खनन कर तस्करी किये जाने संबंधी सूचना एवं खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

37. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में कोयले की चोरी एवं रायल्टी चोरी किये जाने संबंधी सूचना एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य.

38. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की थाना तमनार तथा चिरीमुड़ा में हत्या के प्रकरणों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना एवं गृह मंत्री का वक्तव्य.

39. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की बस्तर जिले में खनिज निगम द्वारा आदिवासियों को खदानें प्रदान करने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना एवं खनिज साधन मंत्री की वक्तव्य.

40. श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर अंतर्गत ग्राम मलेनिया में निर्माणाधीन बांध में अनियमितता संबंधी सूचना एवं जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

41. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की बहुराष्ट्रीय कंपनी सिजेंडा द्वारा कवर्धा के किसानों को गैर कानूनी ढंग से चुकंदर के बीजों का प्रदाय किये जाने संबंधी सूचना एवं कृषि मंत्री का वक्तव्य.

42. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सदस्य की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खाली बारदानों का कृत्रिम अभाव पैदा कर करोड़ों का घोटाला किये जाने संबंधी सूचना एवं सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर दिनांक 28-3-2003 को सदन में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. प्रो. गोपाल राम, सदस्य की जिला सरगुजा के विकासखण्ड सीतापुर, बतौली तथा मैनपाट के ग्राम पंचायतों में सहकारी उचित मूल्य की दुकानों में चावल नहीं दिए जाने संबंधी सूचना.
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की डब्ल्यू. आर. एस. एवं खमतराई के मध्य रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से नागरिकों को परेशानी होना.
3. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा जिलान्तर्गत ग्राम झगरहा में वहां के निवासियों को अतिक्रमण के नाम पर भूमि से बेदखल किए जाने संबंधी सूचना.
4. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की जिला राजनांदगांव अंतर्गत पंचायत सुकूल दैहान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किए जाने संबंधी सूचना.
5. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती आरक्षी केन्द्र में मेहतर राम पटेल द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने संबंधी सूचना.
6. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले में ग्राम मातेखेड़ा में कृषकों की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने संबंधी सूचना.
7. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या संबंधी सूचना.
8. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की केन्द्रीय सहकारी बैंक डभरा द्वारा खाली बारदानों में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना.
9. श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत ग्राम हरदीविशाल में श्रीमती उषादेवी को दहेज प्रताड़ित में जिंदा जला दिए जाने संबंधी सूचना.
10. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की कृषि उपयोग की भूमि को खनिज उत्खनन हेतु लीज पर दिए जाने संबंधी सूचना.
11. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की फर्जी हस्ताक्षर कर कृषक की राशि निकाले जाने संबंधी सूचना.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर ग्राम सड्डू के पास स्थित नाले पर सकरे पुल को चौड़ा किए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मदनसिंह डहरिया, संदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, बनवारी लाल अग्रवाल, गणेश शंकर वाजपेयी, धरम कौशिक, डोमेंद्र भेंड़िया, अजय चन्द्राकर, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 24 व अनुसूचित विधेयक का अंग बने.
खंड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे विधि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

2. श्री रामचंद्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 विचार हेतु प्रवर समिति को सौंपा जाए.

विचारोपरांत प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

(श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 विचार हेतु प्रवर समिति को न सौंपने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.
श्री बनवारी लाल अग्रवाल.
सर्वश्री गौरीशंकर अग्रवाल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, लीलाराम भोजवानी.

श्री रामचंद्र सिंहदेव वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.
प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 74 व अनुसूची 1, 2 व 3 विधेयक का अंग बने.
खंड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

8. अशासकीय संकल्प

1. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि केन्द्र सरकार द्वारा धान, गेहूं तथा प्रादेशिक मुख्य फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु सभी प्रदेशों के लिए एक समान नीति बनाकर किसानों के फसल खरीदने की व्यवस्था की जाए.

प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत माना गया.

2. श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य का निम्नलिखित संकल्प :-

सदन का यह मत है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति राज्य गठन के पूर्व तथा पश्चात् से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों से प्राथमिकता के आधार पर की जाए.

प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत माना गया.

3. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि प्रदेश शासन द्वारा बंद की गई विधायक विकास निधि को पुन: प्रारंभ किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया गया.

सदस्य सर्वश्री लखमा, अजय चंद्राकर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प पर मत विभाजन हुआ.

संकल्प के पक्ष में 09 मत तथा विपक्ष में 32 मत प्राप्त हुए.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

9. नियम - 167 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के अंतर्गत मेरे समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को उन्होंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :-

1. मान. सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा शासकीय गजानंद महाविद्यालय, भाटापारा जिला-रायपुर की प्राचार्य सुश्री सरोज दुबे के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 9 सितम्बर, 2002.

2. मान. सदस्य श्री महेश तिवारी एवं 11 अन्य सदस्यों द्वारा मान. गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2002.

3. मान. सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मान. मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, मान. वित्त मंत्री श्री रामचंद्र सिंहदेव, श्री अरूण कुमार मुख्य सचिव, श्री एस. के. मिश्रा प्रमुख सचिव (वित्त) एवं श्री एस. पी. त्रिवेदी विशेष सचिव (वित्त) के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2002.

4. मान. सदस्य श्री हेमचंद यादव द्वारा मान. मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 18 फरवरी, 2003.

5. मान. सदस्य श्री डोमेन्द्र भेंडिया एवं श्री धर्मजीत सिंह द्वारा मान. सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2003.

6. मान. सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा मान. सदस्य श्री देवव्रत सिंह, श्री डोमेन्द्र भेंडिया, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, डॉ. रामलाल भारद्वाज, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री लोकेन्द्र यादव, श्री मदनसिंह डहरिया, श्री परेश बागबाहरा के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 26 फरवरी, 2003.

7. मान. नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय एवं मान. सदस्य श्री गणेशराम भगत, श्री रामविचार नेताम तथा मान. सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मान. सदस्य श्री देवव्रत सिंह, श्री डोमेन्द्र भेंडिया, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, डॉ. रामलाल भारद्वाज, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री लोकेन्द्र यादव, श्री मदनसिंह डहरिया तथा श्री परेश बागबाहरा के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 28 फरवरी, 2003.

8. मान. सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल एवं 04 अन्य सदस्यों द्वारा मान. राज्य मंत्री पर्यटन, श्री धनेन्द्र साहू के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 13 मार्च, 2003.

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अत: निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है.

1. श्री झितरूराम बघेल
2. श्री गुलाब
3. श्री चैनसिंह सामले
4. डॉ. हरिदास भारद्वाज
5. डॉ. छबिलाल रात्रे
6. श्री भानुप्रताप
7. श्री गणेशराम भगत
8. श्री रामविचार नेताम
9. श्री चरण सिंह मांझी

श्री झितरूराम बघेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

11. लोकलेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोकलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के लिये 9-9 उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि दोनों समितियों के लिये 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है.

लोकलेखा समिति

1. श्री राजेन्द्र पामभोई
2. श्री हर्षद मेहता
3. श्री घनाराम साहू
4. श्री मंतूराम पवार
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
6. डॉ. रामलाल भारद्वाज
7. श्री महेश तिवारी
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. इंजीनियर रामेश्वर खरे

प्राक्कलन समिति

1. श्री अग्नि चन्द्राकर
2. डॉ. छबिलाल रात्रे
3. श्री हर्षद मेहता
4. श्री मंतूराम पवार
5. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
6. श्री डोमेंद्र भेंडिया
7. श्री अमर अग्रवाल
8. श्री लीलाराम भोजवानी
9. प्रो. गोपालराम

श्री महेश तिवारी, सदस्य को लोक-लेखा समिति तथा श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य को प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234(ग), 234-घ (2), 234-च(2), एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को वर्ष 2003-2004 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियम - 180 के उप नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया जाता है.

1. कार्यमंत्रणा समिति -
   1. श्री अजीत जोगी
   2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव
   3. श्री रविन्द्र चौबे
   4. श्री नंदकुमार पटेल
   5. श्री तरूण चटर्जी
   6. श्री सत्यनारायण शर्मा
   7. श्री नंदकुमार साय
   8. श्री महेश तिवारी

श्री धर्मजीत सिंह, उपाध्यक्ष विधान सभा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री बनवारीलाल अग्रवाल सदस्य विशेष आमंत्रित होंगे तथा अध्यक्ष विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-
   1. श्री चैनसिंह सामले
   2. श्री भानुप्रताप
   3. श्री अन्तुराम कश्यप
   4. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
   5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
   6. श्री अमर अग्रवाल
   7. श्री रामविचार नेताम

श्री चैनसिंह सामले, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

3. याचिका समिति-
   1. श्री देवव्रत सिंह
   2. श्री प्रेमसिंह सिदार
   3. श्रीमती प्रतिभा शाह
   4. श्री लखमा
   5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
   6. श्री लीलाराम भोजवानी
   7. श्री विक्रम मोहले

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

4. प्रत्यायुक्त विधान समिति-
   1. श्री अन्तुराम कश्यप
   2. श्री हरषद मेहता
   3. श्री रामदेव
   4. श्री लखमा
   5. श्री सोहनलाल
   6. श्री मेघाराम साहू
   7. श्री संजीव शाह

श्री अन्तुराम कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

5. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति-
   1. श्री मदनगोपाल सिंह
   2. श्री प्रेमसिंह सिदार
   3. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
   4. श्री राजेन्द्र पामभोई
   5. श्री लोकेन्द्र यादव
   6. श्री ननकीराम कंवर
   7. श्री गौरीशंकर अग्रवाल

श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

6. विशेषाधिकार समिति -
   1. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
   2. श्री चैनसिंह सामले
   3. डॉ. छबिलाल रात्रे
   4. डॉ. हरिदास भारद्वाज
   5. श्री लोकेन्द्र यादव
   6. श्री बृजमोहन अग्रवाल
   7. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

7. नियम समिति -
   1. श्री अग्नि चंद्राकर
   2. श्री देवव्रत सिंह
   3. श्री प्रेमसिंह सिदार
   4. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
   5. श्री चोवादास खांडेकर

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा श्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री पदेन सदस्य होंगे.

8. सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति-
   1. श्री लोकेन्द्र यादव
   2. श्री मन्तुराम पवार
   3. श्री चैनसिंह सामले
   4. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
   5. श्री योगेश्वरराज सिंह
   6. श्री लखमा
   7. श्री धरम कौशिक
   8. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
   9. श्री दाऊराम रत्नाकर

श्री लोकेन्द्र यादव, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

9. पुस्तकालय समिति -
   1. श्री धर्मजीत सिंह
   2. श्री गुलाब
   3. श्री रामदेव
   4. श्री हरषद मेहता
   5. श्री प्रेमसिंह सिदार
   6. श्री छतराम देवांगन
   7. श्री धरम कौशिक

श्री धर्मजीत सिंह, उपाध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के सभापति होंगे.

10. पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति-
   1. श्री भुरसूराम नाग
   2. श्री घनाराम साहू
   3. श्रीमती प्रतिभा शाह
   4. श्री रामदेव
   5. श्री मदनसिंह डहरिया
   6. श्री हेमचंद यादव
   7. श्री जगजीत सिंह मक्कड़

श्री भुरसूराम नाग, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

11. प्रश्न एवं संदर्भ समिति-
   1. डॉ. रामलाल भारद्वाज
   2. श्री गुलाब
   3. श्री योगेश्वरराज सिंह
   4. श्री भानुप्रताप
   5. श्री घनाराम साहू
   6. श्री शिवरतन शर्मा
   7. श्री अजय चंद्राकर

डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

12. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति-
   1. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
   2. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
   3. श्रीमती प्रतिभा शाह
   4. श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैक्लॉउड
   5. श्री गणेशशंकर बाजपेयी
   6. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
   7. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी
   8. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
   9. श्री गणेशराम भगत

श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

13. आचरण समिति -

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव
2. श्री मदनगोपाल सिंह
3. डॉ. छबिलाल रात्रे
4. डॉ. हरिदास भारद्वाज
5. श्री ननकीराम कंवर
6. श्री बनवारीलाल अग्रवाल

अध्यक्ष विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री एवं श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष पदेन सदस्य होंगे.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिये नाम वापसी के पश्चात् 8 उम्मीदवार शेष रहे हैं.

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिये 8 सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं.

अत: निम्नलिखित सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है.

1. प्रो. गोपालराम
2. श्री रामदेव
3. श्रीमती इंग्रिड क्रिस्टिन मैक्लॉउड
4. श्री चैनसिंह सामले
5. डॉ. छबिलाल रात्रे
6. श्री गुलाब
7. श्री धरम कौशिक
8. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र के समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किए गए :-

इस विधान सभा के अंतिम बजट सत्र का आज अंतिम दिन है.

दिनांक 17 फरवरी, 2003 से प्रारंभ हुआ यह सत्र 40 दिनों तक चला और सत्रावधि में सदन की कुल 22 बैठकें हुईं, इस दौरान अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य हुये.

22 बैठकों के इस सत्र के दौरान सदस्यों ने 80 घंटे 57 मिनट कार्य किया. विषयवार देखा जाये तो वित्तीय कार्य में 23 घंटे 10 मिनट, विधायी कार्य 06 घंटे 35 मिनट, प्रश्नों पर 12 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई.

इस सत्र में 221 स्थगन प्रस्ताव, 755 ध्यानाकर्षण सूचनायें, 1768 प्रश्न, 30 अशासकीय संकल्प, 25 याचिकायें एवं 15 विधेयक पारित हुये.

इस सत्र के दौरान विधान सभा की समितियों के 18 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुये.

इस विधान सभा का यह तीसरा व अंतिम बजट सत्र था. तीनों बजट सत्रों में यदि तुलनात्मक स्थिति को देखा जाये तो कार्य के घंटे जहां प्रथम सत्र में 113 थे और द्वितीय बजट सत्र में लगभग 130 घंटे कार्य हुआ वहीं सत्र में कार्य के घंटों की संख्या घटकर 81 हो गई. इस सत्र में लगभग 36 घंटे 26 मिनट के व्यवधान के कारण कार्य नहीं हो पाया. इस बजट सत्र में चुनावी वर्ष का असर भी देखने को मिला. यदि हम प्रश्न, ध्यानाकर्षण एवं स्थगन इत्यादि की सूचनाओं को देखें तो इस बजट सत्र में विगत बजट सत्र की अपेक्षा अधिक प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन आदि की सूचनायें आई. इस बजट सत्र में जहां 1768 प्रश्न की सूचनायें आईं वहीं विगत बजट सत्र में 1765 प्रश्न की सूचनायें आई थीं. ध्यानाकर्षण की सूचनायें 755 आईं जबकि विगत बजट सत्र में इनकी संख्या 570 थी. इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव 221 आये जबकि विगत बजट सत्र में 150 प्रस्ताव आये थे. अशासकीय संकल्प नियम 139 की चर्चा जो क्रमश: 30 एवं 15 की संख्या में आये वे विगत बजट सत्रों में 20 एवं 11 की संख्या में आये थे.

सर्वाधिक प्रश्न व न्यूनतम प्रश्न देने वाले सदस्यों की स्थिति यह है कि श्री अजय चन्द्राकर ने 92 प्रश्न, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने 91 प्रश्न एवं श्री नारायण प्रसाद चंदेल ने 86 प्रश्न कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाया वहीं 16 सदस्यों ने कोई प्रश्न नहीं किया.

इस प्रकार अब तक सात सत्रों में 183 दिन की सत्रावधि रही, अब तक की कुल 115 बैठकों में कार्य का कुल समय 498 घंटे 06 मिनट रहा.

सभा में कई अवसरों पर उत्तेजना के क्षण आए लेकिन मुझे यह कहने में खुशी होती है कि हमने परस्पर सम्मान और सौहार्द्र बनाये रखा और कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. इस हेतु मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों का आभारी हूं. संसदीय लोकतंत्र में सहिष्णुता का विशेष महत्व है. मेरा मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सहिष्णु बनकर ही जनता की अधिकतम सेवा कर सकते हैं. हालांकि व्यवधान की वजह से कुछ मांगों पर चर्चा नहीं हो पाई लेकिन प्रत्येक मांग पर चर्चा की परंपरा इस सत्र में कायम रही और अधिकांश महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार मांगों पर चर्चा के दौरान और प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा में रखे. इस मायने में मैं यह कह सकता हूं कि समस्त महत्वपूर्ण जनहित के मामले इस सत्र में उठे और जिस गंभीरता से इन मामलों को उठाया गया उसी गंभीरता से शासन पक्ष ने उन पर कार्यवाही भी दर्शायी.

विगत बजट सत्र में हमने एक अच्छी परंपरा शुरु की थी जब प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को विधान सभा की कार्यवाही दिखाई गई थी. विगत सत्र में 749 संख्या में विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को विधान सभा की कार्यवाही दिखाने का अवसर प्रदान किया गया वहीं इस सत्र में 697 विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को सदन की कार्यवाही दिखाई गई. साथ ही साथ छात्र-छात्राओं को मंत्रिगणों और विधायकों से भेंट व चर्चा भी कराई गई और उन्हें विधान सभा की कार्यशैली से अवगत कराया गया. इस नई व्यवस्था से प्रदेश के महाविद्यालयीन छात्र-छात्रायें एक नया अनुभव और अच्छा संदेश लेकर गये हैं.

इस बजट सत्र में माननीय सदस्यों के लिये बजट पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कराकर नई परंपरा की शुरुआत भी की गई.

10 मार्च को सी. पी. ए. दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें महाविद्यालयीन तीन छात्र पुरस्कृत भी हुये.

कुल मिलाकर यह सत्र मिले-जुले परिणामों का रहा और इसका समापन सुखद वातावरण में हो रहा है. इस उम्मीद के साथ कि अगले सत्र में फिर मिलेंगे.

सभा संचालन में दोनों पक्षों के सहयोग के लिये सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. इस सत्र में एक विशेष बात हुई कि दो-दो उपाध्यक्षों का सहयोग मुझे आसंदी से कार्यवाही संचालन में मिला एक पूर्व एक वर्तमान. सदन ने नया उपाध्यक्ष भी पाया. सदन ने इस बार एक अस्थाई नेता प्रतिपक्ष भी पाया. मुझे खुशी है कि दोनों नेताओं का पूरा सहयोग व स्नेह मुझे मिला.

मैं सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने कार्यवाही संचालन में मेरा पूर्ण सहयोग किया.

कार्यवाही को सही रूप में आम जनता के समक्ष रखे जाने के लिये मैं इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स का भी आभार व्यक्त करता हूं. बजट सत्र जिस प्रकार निर्विघ्न सम्पन्न हुआ उसके लिये सुरक्षा कार्यों में संलग्न पुलिस विभाग एवं सशस्त्र बल के अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी बधाई के पात्र हैं. मैं इस अवसर पर अपने सचिवालय के सचिव व अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम व निष्ठा से इस सत्र के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग दिया.

संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य श्री महेश तिवारी, मान. उपाध्यक्ष श्री धर्मजीत सिंह एवं सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल ने भी इस अवसर पर उद्‌गार प्रकट किए.

सदन में राष्ट्रगान धुन "जन-गण-मन" सम्पन्न हुई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई.

इसके पश्चात विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.